न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 - 05/2022

अनवान :

1. रामदेव पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. रोहताश पुत्र रामस्वरूप जाति महाजन निवासी निनाण तहसील भादरा।

- प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए
राज.काश्त.अधि. 1955 एवं सपठित
धारा 8(2)राज. कोलोनाईजेशन कण्डीशन एक्ट

उपस्थित : वकील श्री सुभाषचन्द्र शर्मा- प्रार्थीगण

पैरोकार राज- अप्रार्थी

निर्णय *दिनांक :* 24.02.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि रोही चक 9 बारानी के खाता सं0 87/57 के मु0 न0 33 के किला न017 की 0.2536है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर दर्ज है। प्रार्थीगण की खातेदारी के चिपते दक्षिणी पूर्वी कोने पर चक 9 बारानी का खाता सं0 242/227 के मु0 न0 33 के किला न0 24/1 की 0.076है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे सिवाय चक काबिल काश्त दर्ज है।

प्रार्थीगण अपनी खातेदारी में आवागमन हेतु चक 9 बारानी के मु0 न0 33 के किला न0 24/1 के पूर्वी तरफ भादरा से आदमपुर जाने वाली मुख्य सडक से उत्तर से दक्षिण की तरफ रास्ता स्वीकृत करा पाने के मजाज कानूनी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण पैरोकार राज को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त तहसीलदार राजस्व भादरा से रास्ता हेतु वर्तमान एवं नवीन मौका रिपोर्ट ली गई। जिसके अनुसार प्रस्तावित रास्ता की आवश्यकता अत्यधिक है ओर यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है। अन्य खातेदारों की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में वैकल्पिक साधन का अभाव बताया गया। साथ ही पटवार हल्का रामगढिया द्वारा ट्रैस नक्शा प्रस्तुत किया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रस्तावित रास्ता हेतु रोही चक 9 बारानी के खाता सं0 87/57 के मु0 न0 33 के किला न017। की 0.253है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर दर्ज है। प्रार्थीगण की खातेदारी के चिपते दक्षिणी पूर्वी कोने पर चक 9 बारानी का खाता सं0 242/227 के मु0 न0 33 के किला न0 24/1 की 0.076है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे सिवाय चक काबिल काश्त दर्ज है। जिसमें रास्ता की आवश्यकता अत्यधिक है। तहसीलदार भादरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया चूंकि प्रस्तावित रास्ता की भूमि सिवाय चक काबिल काश्त है जिसमें से प्रार्थीगण की आवश्यकता को देखते हुए कीमतन रास्ता स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे चक 9 बारानी के मु0 न0 33 के किला न0 24/1 के पूर्वी तरफ भादरा से आदमपुर जाने वाली मुख्य सडक से उत्तर से दक्षिण की तरफ 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ता का अंकन दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करें। चूंकि स्वीकृत शुदा रास्ता भूमि सिवाय चक काबिल काश्त है इसलिए विभागीय परिपत्र 14.06.2013 के प्रावधान अनुसार राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम 1 के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों का दुगुना प्रतिकर प्रार्थीगण से लिया जाकर उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 24.2.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), भादरा, जिला हनुमानगढ़ — stamp)

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़